Dr. Pankaj Kumar Pandey, IAS
Secretary (Incharge)

Government of Uttarakhand

Department of Medical, Health and Family Welfare
Room No. 1, Vishwakarma Bhawan, 4 -Subhash Road, Secretariat,
Dehradun, Uttarakhand

पत्र संख्या :181 /पीएस/स0प्र0/2020
दिनांक :14 अगस्त, 2020

सेवा में

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
उत्तराखण्ड।

विषय : कोविड–19 व डेंगू रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कार्यवाही विषयक।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण प्रसारित हो रहा है। राज्य में समस्त चिकित्सा सेवा केन्द्र प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोविड–19 रोग के मरीजों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में जैसा की आप सभी अवगत हैं कि वर्तमान समय में डेंगू रोग के प्रसारित होने की सम्भावनाएं भी बढ़ जाती हैं। गत वर्षों के अनुभवों से देखा गया है डेंगू रोग के प्रसारण के दौरान भी चिकित्सा सेवा संस्थानों पर अत्यधिक भार बढ़ जाता है। वर्तमान समय में कोविड–19 व डेंगू रोग के एक साथ प्रसारित होने की सम्भावना के दृष्टिगत निम्न कार्यवाहियां की जानी अत्यन्त आवश्यक है ताकि कोविड–19 संक्रमण काल में डेंगू रोग के प्रसारित होने पर किसी भी प्रकार की असामान्य स्थिति को होने से रोका जा सके :

- किसी भी राजकीय व निजी चिकित्सा संस्थान अथवा जांच केन्द्र में यदि कोई संदिग्ध अथवा पुष्टिकृत डेंगू रोगी मिलता है तो इस दशा में उक्त चिकित्सा संस्थान व जांच केन्द्र द्वारा शीघ्रअतिशीघ्र यह सूचना सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय अथवा जिला वैक्टर जनित रोग नियंत्रण अधिकारी कार्यालय/जिला आई0डी0एस0पी0 यूनिट को प्रदान की जाये। डेंगू एक महामारी रोग है व नोटिफाईबल रोगों की श्रेणी में आता है तथा डेंगू रोगी की सूचना प्रदान की जानी अनिवार्य है व इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
- डेंगू रोगी की सूचना प्राप्त होते ही डेंगू रोगी के निवास क्षेत्र के आस–पास शीघ्रअतिशीघ्र समस्त निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
- प्रत्येक डेंगू रोगी की कोविड–19 की नैदानिक जांच की जाये। जो भी रोगी डेंगू रोग के साथ कोविड–19 संक्रमण के लिए भी पॉजिटिव पाए जाते हैं उन रोगियों को प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए। डेंगू व कोविड–19 दोनों ही रोगों के लिए पॉजिटिव पाए जाने वाले रोगियों का उपचार DCHC अथवा DCH स्तर के चिकित्सालयों में ही होगा। कोविड–19 एवं डेंगू पॉजिटिव रोगियों हेतु DCHC अथवा DCH में पृथक से डेडीकेटेड मच्छरदानी युक्त बेडों की व्यवस्था रखी जाये। उक्त रोगियों की सूचना शीघ्रअतिशीघ्र राज्य कोविड–19 कन्ट्रोल रूम को प्रदान की जाये ताकि इन रोगियों की स्वास्थ्य निगरानी राज्य स्तर से भी की जा सके।
- कोविड–19 महामारी के नियंत्रण हेतु कार्यशील समस्त DCHC एवं DCH में मच्छर जनित परिस्थितियों को उत्पन्न होने से रोका जाये। दैनिक रूप से समस्त DCHC एवं DCH में 500 मी0 की परिधि व आस–पास

के क्षेत्रों में जलभराव की समस्या का निदान, डेंगू मच्छर के पैदा होने के स्थान जैसे गमले, खुले पानी की टंकी, कबाड को नष्ट किया जाये व व्यस्क मच्छर से बचाव हेतु परिसर में इन्डोर स्पेस स्प्रे व परिसर के आस–पास फॉगिंग की जाये।

- डेंगू संचरण काल के दौरान मैदानी जनपद न्यूनतम 100 डेंगू डेडीकेटेड बेड की व्यवस्था सुनिश्चित रखें व पर्वतीय जनपद न्यूनतम 30 से 50 डेंगू डेडीकेटेड बेड की व्यवस्था रखें जिन्हे आवश्यकता पडने पर शीघ्रअतिशीघ्र बढ़ाया जा सके।
- जनपद में डेंगू रोग से हुई मृत्यु का तीन कार्यदिवसों के भीतर डेंगू डैथ आडिट कमेटी द्वारा आडिट कर रिपोर्ट ई0मेल uknvbdcp@gmail.com पर भेजेना सुनिश्चित करें।
- डेंगू की दैनिक रिपोर्ट सायं 4:00 बजे तक नियमित रूप से राज्य स्तर पर ई0मेल uknvbcdp@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें ताकि भारत सरकार की अपेक्षा अनुसार प्रतिदिन डेंगू की स्थिति से केन्द्र को अवगत कराया जा सके।

भवदीय

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)

पत्र संख्या :181 /पीएस/स0प्र0/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी अधिकारी एन0वी0बी0डी0सी0पी0।

14/8

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)